



गुवाहाटी के समीप 'राज्य राजधानी क्षेत्र'

drishtiiias.com/hindi/printpdf/assam-forms-state-capital-region-around-guwahati

चर्चा में क्यों ?

बहुत जल्द राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region) के समान ही असम में गुवाहाटी को एक राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) के रूप में विकसित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि इस संबंध में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया था। हाल ही में असम विधानसभा में एस.सी.आर. के तेज़ी से विकास के लिये एक कार्ययोजना तैयार करने हेतु ए.एस.सी.आर.डी.ए. विधेयक (Assam State Capital Region Development Authority - ASCRDA Bill) 2017 पास किया गया।

मुख्य बिंदु

- एस.सी.आर. के अंतर्गत पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कामरूप, नलबारी, दारंग और मोरगाँव के ज़िलों को शामिल किया जाएगा।
- विदित हो असम की राजधानी गुवाहाटी भी कामरूप मेट्रोपॉलिटन ज़िले में ही है।
- ए.एस.सी.आर.डी.ए. को एस.सी.आर. के विकास, कार्यान्वयन और निगरानी करने संबंधी समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।
- ए.एस.सी.आर.डी.ए. की अध्यक्षता असम के मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी।
- इस विधेयक के तहत एक क्षेत्रीय योजना तैयार की जाएगी तथा कार्यात्मक योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं, विकास योजनाओं और प्रोजेक्ट संबंधी योजनाओं की तैयारी हेतु प्राधिकरण के साथ सहयोग भी किया जाएगा।
- साथ ही ए.एस.सी.आर.डी.ए. द्वारा नगर निगमों, स्थानीय निकायों, पंचायतों और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके इस संबंध में आगे कार्य किया जाएगा।
- राज्य की राजधानी क्षेत्र में चयनित विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण को व्यवस्थित करने और देखरेख करने के लिये इस निकाय को सरकारी पूंजी के साथ-साथ राजस्व के अन्य स्रोत भी सौंपे जाएंगे।

इस निकाय को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि मौजूदा गुवाहाटी नगर निगम विकास प्राधिकरण (Guwahati Municipal Corporation Development Authority - GMDA), गुवाहाटी नगर निगम (Guwahati Municipal Corporation - GMC) और अन्य शहरी प्राधिकरणों के अधिकार और दिशा-निर्देश एस.सी.आर. के वांछित विकास और संवृद्धि के लिये पर्याप्त नहीं थे।